परिपत्र

कार्यालय,रक्षा लेखा महानियंत्रक

उलन बटार रोड, पालम, दिल्ली छावनी -10

सं. AN/XI/11051/MACP/2016/Vol I

दिनांक: 31.05.2016

सेवा में,

सभी र.ले.प्र.नि./र.ले.नि.
(र.ले.म.नि. वैबसाइट द्वारा)

विषय : न्यायालय/केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के समक्ष प्रस्तुतीकरण और कोर्ट मामलों पर कार्रवाई करना.

कोर्ट मामलों पर कार्रवाई करने के दौरान, किन्हीं एक नियंत्रक ने ऐसे कोर्ट मामलों पर कार्रवाई करने एवं दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने संबंधी मुद्दे को उठाया है जहां पर ओए (OA) में उत्तरदाता के रूप में नियंत्रक को नहीं बल्कि र.ले.म.नि./मंत्रालय को उत्तरदाता बनाया गया है।

इस संबंध में, वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के दिनांक 16.05.2012 के पत्र सं. 7(8)/2012-E-III (A) तथा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की दिनांक 28.9.1993 की अधिसूचना सं. A-11019/105/87-AT को देखें जिसकी प्रतियां संलग्न की गई हैं और जो स्वतः स्पष्ट हैं।

तदनुसार, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण/कोर्ट के सभी मामलों को अधीनस्थ कार्यालय द्वारा शीघ्र प्रतिवाद किया जाए। यह कार्य उस अधीनस्थ कार्यालय द्वारा किया जाए जहाँ सरकारी कर्मचारी (मुख्य आवेदक) कार्यरत हो या जहाँ वह अंतिम बार सेवारत रहा हो। इसके अलावा, प्रतिवाद करने वाले उस कार्यालय का, कोई भी वर्ग "क" स्तर का अधिकारी, अभिवचन और अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए भी प्राधिकृत किया जा सकता है।

(एस.सी.गुप्ता)
कृते र.ले.म.नि.

CIRCULAR

CONTROLLER GENERAL OF DEFENCE ACCOUNTS
ULAN BATAR ROAD, PALAM, DELHI CANTT.-110010

No .AN/XI/11051/MACP/2016/Vol I Dated: 31 .5.2016

To

All the PCsDA/CsDA
(Through CGDA Website)

Subject: **Submission before Courts/Central Administrative Tribunals and handling of Court Cases.**

During the handling of court case, one of the Controllers has raised the issue regarding dealing of court cases & signing of documents, where the Controller has not been named as respondent in OA but CGDA/Ministry has been made respondent.

In this connection, please find enclosed a copy of Department of Expenditure, Ministry of Finance letter bearing No. 7 (8)/2012-E-III (A) dated 16.5.2012 & DOP&T notification No. A-11019/105/87-AT dated 28.9.1993, which is self explanatory.

Accordingly, all cases, filed in CATs/ Courts are to be defended expeditiously by the subordinate office, where the Government servant (main applicant) is serving or has last served. Further, any Group "A" officer from the office, defending the case, can be authorized to sign the pleadings, other documents.

(S.C. Gupta)
For CGDA